जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 11-09-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान गुड्डू सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी बनकटिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को एक अदद चोरी की टीवीएस मोटरसाईकिल (रजि0 नं0 UP 58 M 9648 कूटरचित) के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 515/20 धारा 411/419/420/468/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

घर में घुसकर मोटर चोरी करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 288/20 धारा 380 भा0द0वि0 के मामलें में वांछित अभियुक्त नाम पता अजय पुत्र अम्बिका निवासी कालीजगदीशपुर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.09.2020 को वादी राजीव चौधरी पुत्र लक्ष्मीकान्त चौधरी निवासी कालीजगदीशपुर के घर में घुसकर पानी की मोटर चोरी कर ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 10.09.2020 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे आज दिनांक 11.09.2020 को उ0नि0 श्री हरिकेश भारती द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घर में घुसकर मारपीट करने व गाली गुप्ता देने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 310/20 धारा 147/323/504/506/452/354(ख) भा0द0वि0 3(1) W(1) / 3(1) (द)(ध) एससी / एसटी एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता सरवर अली पुत्र असगर अली निवासी इमलिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 24.08.2020 को वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ मारपीट व छेड़खानी की गयी व गाली गुप्ता देते हुए जान माल की धमकी दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 26.08.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनांक 11.09.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 35 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 06 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05-05-05 लीटर (कुल 15 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- हीरालाल पुत्र बृजलाल निवासी अमरडोभा 2- विनोद पुत्र शिवमूरत निवासी शनिचरा 3- अनिल शर्मा पुत्र रामगति निवासी महला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 345 / 2020, 346/20, 347/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10-10 ली0(कुल 20 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्तगण नाम पता 1-दयाराम साहनी पुत्र बृजराज निवासी अव्वल केवटलिया 2- नीतेन्द्र साहनी पुत्र राजमन निवासी उत्तरपट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 254 / 2020 व 255/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता सोनू पुत्र चरनजीत निवासी सिगहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 86 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत बसवारी से इवेन्ट संख्या 01047 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में घटनास्थल पर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को पीआरवी वाहन से प्रा0 स्व0 केन्द्र मलौली भर्ती कराया गया तथा विधिक कार्यवाही हेतु वादी को थाना धनघटा भेजा गया । पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।
पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सुदामा प्रसाद, हो0चा0 मेजर यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 121 वाहनो से 92700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 121 वाहनो से 92700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।